निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या / -23/**2017-18**

यह निरीक्षण प्रतिवेदन डप्टी क मश्नर (क0नि0)-**VII,** वा णज्य कर **देहरादून** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

डप्टी क मश्नर (क0नि0)-**VII,** वा णज्य कर **देहरादून** के माह 09/2015 से 03/2017 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री सिराज हुसैन एवं श्री नीरज कुमार सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 18.05.17 से 26.05.2017 तक श्री एन0के0 सिन्हा वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **(1)परिचयात्मकः** इस इकाई की वगत लेखापरीक्षा श्री नई इकाई (New Unit) सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री ----------लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक ----------से ---------- तक सम्पादित की गयी थी। जिसमें राजस्व हेतु माह ----------से ----------तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा मे माह 09/17 से 03/17 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. (i) **इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः** - Adminstrative and Monitoring

(ii) (अ) **राजस्व विवरण**

विगत वर्षो मे कार्यालय (आबकारी विभाग) द्वारा अर्जित राजस्व का ब्यौरा निम्नवत् है

वर्ष	अर्जित राजस्व (रू लाख में)
2014-15	शून्य
2015-16	39199.33
2016-17	46230.45

(ii)(ब) बजट का विवरण:-विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय विभागो में की स्थिति निम्नवत हैः(` लाख में)

वर्ष	आवंटन `	व्यय `	अभ्यर्पित राशि
	लागू नहीं		

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय अधिक्य (+) `	बचत (-) `
शून्य					

(iii)इकाई को बजट आवंटन शासन द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई -- ----श्रेणी की है।

(iv)विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

सचिव, वित्त आयुक्त कर, वाणिज्य कर एडिशनल कमिश्नर , वाणिज्य कर, ज्वाइंट कमिश्नर, वाणिज्य कर डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर सहायक आयुक्त , वाणिज्य कर, वाणिज्य कर अधिकारी,

(V) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में कर-निर्धारण को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन डप्टी क मश्नर (क0नि0)-**VII,** वा णज्य कर **देहरादून** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है।

(vi) **विस्तृत जांच हेतु माह का चयन :-**

राजस्वः माह.....03/17.....को विस्तृत जांच (राजस्व) हेतु चयनित किया गया।

व्ययः माह .....को विस्तृत जांच (व्यय) हेतु चयनित किया गया।

(vii) योजना का चयन :- लागू नहीं ।

(Viii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 16 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

राजस्व की लेखा- लेखापरीक्षा

भाग-2 'ख'

प्रस्तर-1 ब्याज की धनराशि का वसूल नही किया जाना ₹18.03 लाख

उत्तराखण्ड मूल्यव र्धत कर अ धनियम 2005 की धारा 34(4) के अनुसार यदि स्वीकृत कर समय से जमा नही कया जाता है। तो ऐसी धनरा श पर जमा करने के दिनांक तक 15 वा र्षक ब्याज देय होगा।

कार्यालय डप्टी क मश्नर (क0नि0)-VII, वा णज्य कर देहरादून की नमूना लेखापरीक्षा जांच मे यह पाया गया क व्यापारी सर्व श्री कन्साई नैरोलैक पेन्टस ल मटेड, देहरादून, क0नि0 वर्ष 2012-13 द्वारा स्वीकृत कर 3070326/- के सापेक्ष 2739320/- की रा श दिनांक 30.08.2016 को जमा कर दिया गया। तथा उक्त बकाया को R-3 पंजिका से समाप्त कर दिया गया कर-निर्धारण अ धकारी द्वारा अपने कर निर्धारण आदेश मे उल्लेख कया था क उक्त धनरा श दिनाक 01.10.2012 से जमा करने की ति थ तक ब्याज भी देय है। इस प्रकार जमा ति थ तक उक्त स्वीकृत कर की रा श पर ब्याज 1803817/- आरोपणीय होगा। साथ ही शेष स्वीकृत कर की रा श 331006/- जमा करने का साक्ष्य पत्रावली मे उपलब्ध नही पाया गया।

इसं संबंध मे इं गत कये जाने पर वभाग द्वारा जांचोपरान्त करवाई का आश्वासन दिया गया है। जिसकी लेखापरीक्षा मे प्रतीक्षा रहेगी।

भाग-2 **'ख'**

प्रस्तर-02 कर का अनारोपण 25.25 लाख

उत्तराखण्ड मूल्यव र्धत कर अ धनियम 2005 की धारा 4(2) के प्रावधानों के अनुसार अवर्गीकृत वस्तुओं की बिक्री पर 13.5 की दर से कर आरो पत होगा।

कार्यालय डप्टी क मश्नर (क0नि0)-VII, वा णज्य कर देहरादून के अ भलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जांच मे पाया गया क व्योहारी सर्वश्री जेल0सी0डी0एस0 (जे0वी) प्रीति इनक्लेव प्रथम तल माजरा, देहरादून कर निर्धारण वर्ष 2014-15 के वाद मे व्योहारी द्वारा स वल सं वदा कार्य के निष्पादन हेतु प्रान्त बाहर से 18704799/- के मशीनरी, मशीनरी पाटर्स व इलेक्ट्रीक्लस गुड्स की खरीद की गयी जिसका कर निर्धारण अ धकारी के अनुसार कार्य सं वदा के निष्पादन मे अन्तरण नही हुआ था। एवं उक्त सामग्री व्यौहारी के बैलेन्ससीट मे फक्स एसेटस के रुप मे वद्यमान रहेगी।

व्योहारी के संगत वर्ष की पत्रावली की आगे लेखापरीक्षा मे यह पाया गया क व्यौहारी द्वारा उक्त सामग्री का फक्स एसेटस के रुप मे प्रद र्शत कये जाने हेतु कोई Balance Sheet प्रस्तुत नही कया गया था जिस कारण उक्त समाग्री का व्योहारी के पास वास्तव मे वदमान होना साबित नही होता।

वांछित अ भलेखों के अभाव मे उक्त सामग्री को बिक्री मानते हुये 13.5% की दर से व्यौहारी के वरुद्ध 2525148/- का कर आरोपणीय था जो नही कया गया।

सम्प्रेक्षा द्वारा इं गत कये जाने पर कर निर्धारण अ धकारी द्वारा Balance Sheet उपलब्ध कराये जाने का आश्वासन दिया गया, जिसकी समप्रेक्षा मे प्रतीक्षा रहेगी।

भाग-2 **'ख'**

प्रस्तर-03 अर्थदण्ड का अनारोपण ₹0.99 लाख

उत्तराखण्ड मूल्यव र्धत कर अ धनियम 2005 की धारा-58(1)(vii) के अन्तर्गत कसी व्योहारी ने युक्ति-युक्त कारण के बिना अ धनियम के उपबन्धों के अधीन देय कर अनुमन्य समय के भीतर जमा नही कया है तो वह देय कर का कम से कम दस प्रतिशत कन्तु अ धक से अ धक पच्चीस प्रतिशत, यदि कर ₹10000 तक हो और देय कर का 50% यदि कर ₹10000 से अ धक हो का दायी होगा।

डप्टी क मश्नर (क0नि0)-VII, वा णज्य कर देहरादून के अ भलेखों के जांच मे पाया गया क व्योहारी सर्वश्री क्वा लटी होम एप्लाइन्सेस निरंजनपुर देहरादून कर निर्धारण वर्ष 2012-13 द्वारा निम्ना कंत माहो मे देय कर ₹999539/- वलंब से जमा कया गया था।

माह	कर जमा करने की ति थ	कर की धनरा श ( )	आरोपणीय अर्थदण्ड ( )
अप्रैल-12	06/06/12	224665	22466.5
अगस्त-12	05/10/12	103050	10305.00
नवम्बर-12	26/12/12	85228	8522.8
दिसम्बर-12	28/01/13	228603	22860.3
मार्च-13	10/05/13	357993	35799.3
	योग	999539	99953.9

अत: वलंब सें जमा कर की रा श पर अ धनियम की उपरोक्त प्रावधानों के अन्तर्गत नियमानुसार ₹99953/- का न्यूनतम अर्थदण्ड आरोपणीय होगा।

सम्प्रेक्षा द्वारा इं गत कये जाने पर कर निर्धारण अ धकारी ने नियमानुसार जांच कये जाने का आश्वासन दिया । जिसकी लेखापरीक्षा मे प्रतीक्षा रहेगी।

भाग-III

राजस्व से संबंधित विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण :

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या
	निरंक	

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरो की अनुपालन आख्या : शून्य

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण : शून्य

व्यय से संबन्धित: - शून्य

<u>भाग-IV</u>

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(1) राजस्व से संबंधित इकाई द्वारा **निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य**

(2) व्यय से संबंधित इकाई द्वारा **निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य**

भाग-V

<u>आभार</u>

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु डप्टी क मश्नर (क0नि0)-**VII,** वा णज्य कर **देहरादून** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये: शून्य
2. **सतत् अनियमितताएः**
   टिप्पणी- शून्य

3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं0	नाम	पदनाम
(i)	श्री दीपक वृजवाल	डप्टी क मश्नर
(ii)	श्री प्रवीण गुप्ता	डप्टी क मश्नर

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति डप्टी क मश्नर (क0नि0)-**VII,** वा णज्य कर **देहरादून** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार (राजस्व क्षेत्र) को प्रेषित कर दी जाए।

लेखापरीक्षा अधिकारी/राजस्व क्षेत्र